रा०लो०अ० केम्प बीरजी का खेड़ा

8/5/2013

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। मूल वाद मिसलित हो चुका है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नाबाल से जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:02:21 IST
Reason: SelfAttested

आ०जा०